झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचम–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 18.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	सर्वश्री रामकुमार पाहन, नागेन्द्र महतो एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी कार्य मनरेगा में कार्य कर रहे रोजगार सेवक के माध्यम किया जाता है जिनकी संख्या पूरे राज्य में लगभग 4300 है जो लगातार विगत नौ वर्षो से रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है। रोजगार सेवक को कार्य के अनुरूप वेतन का भुगतान नही किया जाता है। उक्त कर्मियों को प्रतिमाह वेतनमान के तौर पर 5200 रू0 प्रति रोजगार सेवक भुगतान किया जाता है जिससे कर्मी अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करने में काफी मुश्किल हो रही है। रोजगार सेवक के द्वारा वेतन बढ़ोत्तरी के संबंध में समय–समय पर धरणा प्रदर्शन तथा आन्दोलन भी किया जाता आ रहा है लेकिन आज तक रोजगार सेवक का वेतन बढ़ोत्तरी नही हुआ है जबकि मनरेगा के अन्य पद पर कार्य कर रहे कर्मियों का बढ़ोत्तरी किया गया है जिससे रोजगार सेवकों में काफी रोस है। रोजगार सेवक की नियुक्ति उच्च योग्यताधारी एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीद्वारों का चयन होता है, और योग्यता के अनुरूप वेतनमान नही दिया जा रहा है। रोजगार सेवक में लगातार कार्य कर रहे कर्मियों की उम्र सीमा अन्य रोजगार संबंधी परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, और होने के कगार में है जिससे उनमें विकट समस्या उत्पन्न हो रही है इसलिए लगातार रोजगार सेवक के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों का वेतन बढ़ोत्तरी तथा	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है। अतएव राज्य में मनरेगा में कार्यरत रोजगार सेवक की वेतन बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, जयप्रकाश सिंह भोगता एवं श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी स0वि0स0	पलामू जिला में छात्र-छात्राओं के चयनित स्कोलरशिफ/ स्टाईपन की राशि समय पर भुगतान नहीं होने से शिक्षण कार्य कर रहे छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है। जिला कल्याण पदा0 द्वारा कहा जाता है कि पैसा नहीं है सरकार द्वारा आवंटित राशि आने पर भुगतान किया जाएगा। अतः चलते सत्र में सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि कितने छात्र-छात्राओं को भुगतान किया गया है और कितना बाकी है तथा बाकी छात्र-छात्राओं को कबतक भुगतान किया जाएगा। यदि पदा0 के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही है तो इसकी जाँच कर गरीब छात्र-छात्राओं को भुगतान करने तथा दोषी पदा0 के विरूद्ध कार्रवाई करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	कल्याण
03-	सर्वश्री दशरथ गागराई, अमित कुमार एवं श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली 2002 में यह प्रावधान है कि पंचायत सचिवों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद दलपतियों को प्रोन्नति देकर भरे जाएंगे जो प्रशिक्षित एवं दो साल तक पंचायत में सेवा दे चुके हों। परन्तु इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 16/2015-16 तथा 17/2015-16 के माध्यम से क्रमशः 1539 एवं 148 पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। राज्य भर में कार्यरत दलपतियों को पहले नियुक्त करने के उपरांत ही इस प्रकार की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाना चाहिए ताकि वर्षो से कार्यरत दलपतियों के साथ न्याय हो सके। अतएव राज्य भर में कार्यरत दलपतियों को प्रोन्नति देते हुए पंचायत सचिव में नियुक्त करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है। अतएव राज्य में मनरेगा में कार्यरत रोजगार सेवक की वेतन बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्ति करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, जयप्रकाश सिंह भोगता एवं श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी स0वि0स0	पलामू जिला में छात्र-छात्राओं के चयनित स्कोलरशिफ/ स्टाईपन की राशि समय पर भुगतान नहीं होने से शिक्षण कार्य कर रहे छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है। जिला कल्याण पदा0 द्वारा कहा जाता है कि पैसा नहीं है सरकार द्वारा आवंटित राशि आने पर भुगतान किया जाएगा। अतः चलते सत्र में सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि कितने छात्र-छात्राओं को भुगतान किया गया है और कितना बाकी है तथा बाकी छात्र-छात्राओं को कबतक भुगतान किया जाएगा। यदि पदा0 के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही है तो इसकी जाँच कर गरीब छात्र-छात्राओं को भुगतान करने तथा दोषी पदा0 के विरूद्ध कार्रवाई करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	कल्याण
03-	सर्वश्री दशरथ गागराई, अमित कुमार एवं श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली 2002 में यह प्रावधान है कि पंचायत सचिवों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद दलपतियों को प्रोन्नति देकर भरे जाएंगे जो प्रशिक्षित एवं दो साल तक पंचायत में सेवा दे चुके हों। परन्तु इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 16/2015-16 तथा 17/2015-16 के माध्यम से क्रमशः 1539 एवं 148 पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। राज्य भर में कार्यरत दलपतियों को पहले नियुक्त करने के उपरांत ही इस प्रकार की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाना चाहिए ताकि वर्षो से कार्यरत दलपतियों के साथ न्याय हो सके। अतएव राज्य भर में कार्यरत दलपतियों को प्रोन्नति देते हुए पंचायत सचिव में नियुक्त करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030

राँची,
दिनांक- 18मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2285/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/03/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ ग्रामीण विकास विभाग एवं कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/03/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2285/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/03/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/03/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

17.03.16